दूरभाष/TEL : 26962819, 26567373
(EPABX) : 26565694, 26562133
: 26565687, 26562144
: 26562134, 26562122
फैक्स/FAX : 26960629, 26529745
Website : http:/www.dsir.gov.in

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग,
नई दिल्ली - 110016
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department of Scientific and Industrial Research
Technology Bhavan, New Mehrauli Road,
New Delhi - 110016

दिनांक: 2 अगस्त, 2024

सं. IRDPP-RDI/RRG/1/2023-IRDPP-DSIR

आदेश

विषय: वर्तमान मान्यता सहित अनुरूप अवधि तक संशोधित वैधता के साथ डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त उद्योगों की इन-हाउस आरएंडडी इकाई(ओं) के एवं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एसआईआरओ) से संबंधित डीएसआईआर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में।

राजपत्र अधिसूचना संख्या 07/2024-कस्टम्स, दिनांक 29.01.2024 जिसमें जीएसआर 303 (अ.) संख्या, दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत प्रकाशित दिनांक 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 51/96-कस्टम्स को दिनांक 31.03.2024 से **30.09.2024** तक बढ़ाया गया था, के अनुसार डीएसआईआर, अस्पतालों के अलावा अन्य अनुसंधान संस्थानों जैसे उद्योग की इन-हाउस आरएंडडी इकाइयों (आरडीआई) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एसआईआरओ) को 30.09.2024 तक 'पंजीकरण प्रमाणपत्र' जारी कर रहा है।

2. अब वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार के **दिनांक 23 जुलाई, 2024 का अधिसूचना संख्या 38/2024-** (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो दिनांक 30.09.2024 को समाप्त होने वाली छूट की वैधता को **31.03.2029** तक बढ़ाने के लिए विभिन्न अधिसूचनाओं में संशोधन के संबंध में है।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मान्यता प्राप्त सभी मौजूदा उद्योगों की इन-हाउस आरएंडडी इकाइयों एवं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एसआईआरओ) के लिए **पंजीकरण की वैधता को वर्तमान मान्यता की वैधता अवधि के अनुरूप बढ़ाने** का निर्णय लिया गया है, जिनको इस अवधि के दौरान वैध मान्यता प्राप्त है और जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र 30.09.2024 को समाप्त हो रहा है।

4. यद्यपि, उद्योगों और एसआईआरओ की आंतरिक आरएंडडी इकाइयों की मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया विभाग द्वारा डीएसआईआर में निर्धारित मौजूदा दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।

5. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रभात कु० दत्ता
डॉ. पी. के. दत्ता
वैज्ञानिक- 'जी' एवं प्रमुख आईआरडीपीपी
ईमेल- pkdutta@nic.in , फोन- 01126534823, 01126590394

सेवा में

सभी हितधारक

प्रतिलिपि:

सचिव, डीएसआईआर के प्रधान निजी सचिव